कार्यालय संयुक्त निदेशक उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145
जनपद-ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांक : एच0आर0सी0/106

दिनांक : 01/05/2025

नीलामी सूचना

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर वर्ष 2025 में 113 फलत आम वृक्षों की बिक्री खुली बोली के माध्यम से नीलामी आयोजित की जायेगी। (नीलामी दिनांक : 20/05/2025, अपराह्न 3.0 बजे)

नीलामी की शर्तें :-

1. फलत आम वृक्षों का ठेका लेने के इच्छुक प्रतिभागी केंद्र के कार्यालय में धरोहर धनराशि रू0 5,000/- का बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करते हुये नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं।
2. ठेका लेने से पूर्व प्रतिभागी फलत आम वृक्षों का भली-भॉति निरीक्षण कर लें, फलत आम वृक्षों की बिक्री के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. उच्चतम बोलीदाता द्वारा धरोहर धनराशि के रूप में जमा किया गया रू0 5,000.00 के बैंक ड्राफ्ट/नकद धनराशि को छोड़कर अन्य बोलीदाता द्वारा जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट/नकद धनराशि को बोली समाप्ति के पश्चात् लौटा दिया जायेगा।
4. सफल बोलीदाता को बोली की समस्त धनराशि अपने खाते के माध्यम से ही भुगतान करनी होगी, किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ठेकेदार को विश्वविद्यालय में अपना पार्टी/वेन्डर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
6. उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली गयी धनराशि का 40 प्रतिशत अग्रिम के रूप में नीलामी समाप्ति के पश्चात जमा करना होगा। इस धनराशि में नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की गयी धरोहर धनराशि रू0 5,000/- को समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि उच्चतम बोलीदाता 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता हैं, तो नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की गयी धरोहर धनराशि रू0 5,000/- को जब्त कर लिया जायेगा एवं ठेका निरस्त करने से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ठेकेदार को उक्त की सूचना डाक/व्हाटसप द्वारा दी जायेगी। सूचना जारी होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व, जो भी पहले हो, उच्चतम बोली गयी धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) जमा करनी होगी। इस धनराशि में पूर्व में जमा की गयी धरोहर धनराशि रू0 5,000/- को समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि ठेकेदार निश्चित दिनांक तक 40 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करता हैं तो वह 1.5 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ अगले 30 दिन तक धनराशि जमा कर सकता है। यदि फिर भी ठेकेदार 40 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करता है, तो ठेका निरस्त करने से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जायेगी तथा ठेकेदार द्वारा पूर्व मे जमा की गयी धनराशि (रू0 5,000 + 40 प्रतिशत धनराशिा) को जब्त कर लिया जायेगा।
8. उच्चतम बोलीदाता को बाग का कब्जा लेने से पूर्व उच्चतम बोली गयी धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि **प्रतिभूति** के रूप में अलग से जमा करनी होगी। ठेका समाप्ति पर नियमानुसार उक्त धनराशि ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी।
9. ठेकेदार को तृतीय किस्त/अंतिम किस्त 20 प्रतिशत धनराशि फल तोड़ने से पहले जमा करनी होगी। इसमें पूर्व में जमा की गयी धरोहर धनराशि रू0 5,000/- को समायोजित कर लिया जायेगा।
10. बोलीदाता को उच्चतम बोली धनराशि की सभी किस्तों का भुगतान आर0टी0जी0एस0/ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से विश्वविद्यालय के खाते में जमा करना होगा। नकद भुगतान किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11. गठित समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी एक अथवा समस्त बोलियों को बिना कारण बताए निरस्त कर सकती है।
12. जिन फल वृक्षों पर शोध कार्य चल रहा है, उन वृक्षों के फल ठेकेदार द्वारा शोधकर्ता की उपस्थिति में तोड़े जायेगें।
13. नीलाम की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को किसी अन्य फसल से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
14. बोली स्वीकृति होने के पश्चात बोलीदाता को विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा) के साथ रु0 100/– के (स्वयं के व्यय पर) नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबन्ध करना होगा।
15. ठेकेदार को अपना तथा बाग में कार्य करने वाले कर्मियों का चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस द्वारा दिया गया हो बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र कार्यालय में जमा करना होगा।
16. ठेकेदार अथवा उसके कर्मियों द्वारा केन्द्र या विश्वविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति आदि को क्षति पहुचानें की दशा में क्षतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार के स्वयं का होगा।
17. बाग की सफाई, रखवाली, ठेकेदार द्वारा फल तुड़ाई आदि कार्यो पर लगाये गये श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान कर प्रमाण–पत्र भी केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
18. ठेकेदार द्वारा पके फल ही तोडे जायेंगे, पेडों की टहनियो को नहीं तोड़ा जायेगा।
19. ठेके से सम्बन्धित किसी भी विवाद में माननीय कुलपति जी अथवा उनके नामित द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
20. फलत आम वृक्षों के ठेके की अवधि दिनांक 31.07.2025 तक होगी।

(ए0के0सिंह)